संख्या-368/2026/307जेएल/22-3-2026-ई-2108203

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोरखपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांकः 13 नवम्बर, 2926

विषयः- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जोखू पुत्र स्व0 तुलसी को अपने भाई की मृत्यु के उपरान्त ब्रम्हभोज संस्कार एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाईनिलम्बन) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7930-31/जि0प्रो0का0/बंदी/पैरोल/2026-27, दिनांक 08-11-2026 एवं तद्क्रम में उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या-46497/सामा-1(1)/78/बन्दी पैरोल/2026, दिनांक 12-11-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जोखू (बंदी संख्या-331/2024) पुत्र स्व0 तुलसी प्रसाद, निवासी-ग्राम व थाना-खोरावार, जनपद-गोरखपुर को भाई की मृत्यु के उपरान्त ब्रम्हभोज संस्कार एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 21-11-2026 तक दूसरी बार दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते हैं कि बन्दी दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) की अवधि में शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आप की संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बन्दी के विरूद्ध अन्य कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जायें तथा बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक हो। दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) की अवधि को बन्दी द्वारा काटी गयी सजा में नही जोड़ा जायेगा।

2- यदि बन्दी दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बन्दी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। बन्दी दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बन्दी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वह स्वीकृत दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध किये जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

3-वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बन्दी को दण्ड का अस्थाई निलम्बन (पैरोल) पर रिहा किये जाने तथा बन्दी के जेल में हाजिर होने की तिथि शासन को अनुभाग की ई-मेल आई0डी0 पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in